संख्याः- 05/2018/762/37-3-2018-5(34)/2017

प्रेषक,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु
चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं
गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 12 नवम्बर, 2018**

विषयः-वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य वर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2700/डीडीयू/आई-ईबी-117/14, दिनांक 20-08-2016 एवं पत्र संख्या-1860/डीडीयू/आई-ईबी-117/16, दिनांक 07-04-2017 तथा पत्र संख्या-661/डीडीयू/आई-ईबी-117/14, दिनांक 03-05-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008)की संस्तुतियों पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य वर्ग तथा अन्य संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के संबंध में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-665(VIII)/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 26-09-2013 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के तकनीकी संवर्ग मेडिकल कम्पाउन्डर को फार्मासिस्ट पदनाम किये जाने तथा उक्त पद का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन वित्त वेतन आयोग के निर्गत शासनादेश दिनांक 26-09-2013 से निम्न तालिका के कालम-4 एवं 5 के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.com

क्र० सं०	वर्तमान व्यवस्था		स्थापित व्यवस्था	
	पदनाम (वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रु0 में) पदों की संख्या	भर्ती की प्रक्रिया एवं अर्हता	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रु0 में) पद संख्या	भर्ती की प्रक्रिया /अर्हता
1	2	3	4	5
1	मेडिकल कम्पाउन्डर (मानव विज्ञान) (वेतन बैण्ड 5200-20200/- एवं ग्रेड वेतन 2000/-) (02) पद	सीधी भर्ती इण्टरमीडिएट (बायोलाजी ग्रुप)	फार्मासिस्ट (मानव विज्ञान) (वेतन बैण्ड 5200-20200/- एवं ग्रेड वेतन 2800/-) (02) पद 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर वेतन बैण्ड-2 रु0 9300-34800/- एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- नॉन फंक्शनल के रुप में तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उक्त पदधारक को ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट के समान अनुमन्य होगी।	सीधी भर्ती द्वारा **अर्हता-** इण्टरमीडिएट (गणित या बायोलाजी ग्रुप) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रदत्त 02 वर्ष 03 माह का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी काउंसिल उ0प्र0 में पंजीकृत हो। उक्त संस्था के फार्मासिस्ट के ऐसे पदधारक, जो राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट पद वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/- के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं। उन्हें प्राप्त हो रहे वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य होगा और उनके संबंध में अन्य राज्य कर्मचारियों जिन्हें नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन स्वीकृत नहीं किया गया है के लिए निर्धारित ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होगी। संस्था में कार्यरत कम्पाउन्डर पदनाम से उपलब्ध पदों का पदनाम फार्मासिस्ट रखा जाये।

2- उपरोक्तानुसार उच्च ग्रेड वेतन के पद पर समायोजित होने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://Shasnadesh.up.nic.com

59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-वे0आ-2-557/दस-2018, दिनांक 03.10.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
संयुक्त सचिव।

संख्याः 05/2018/762(1)/37-3-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा)/प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5- रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी/प्रस्थापना अधिकारी, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.com